भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1341
उत्तर देने की तारीख 25.07.2022

छात्राओं को मातृत्व अवकाश

1341. श्री हाजी फजलुर रहमानः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही छात्राओं को मातृत्व अवकाश और उपस्थिति में राहत प्रदान करने के लिए उपयुक्त नियमों और मानदंडों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में विश्वविद्यालयों को कोई आदेश जारी किया है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ग): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि महिला शिक्षार्थियों के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु यूजीसी (एम.फिल/पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 में प्रावधान किया गया है कि महिला उम्मीदवारों को एम.फिल के लिए एक वर्ष और पीएचडी के लिए दो वर्ष की अधिकतम अवधि की छूट दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, महिला उम्मीदवारों को एम.फिल/पीएचडी की पूरी अवधि में एक बार 240 दिनों का मातृत्व अवकाश/बाल देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

यूजीसी ने आगे सूचित किया है कि अवर स्नातक और परास्नातक महिला शिक्षार्थियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने के लिए, यूजीसी ने 14 दिसंबर, 2021 को एक पत्र जारी कर संबंधित संस्थान/संबद्ध महाविद्यालयों में नामांकित महिला शिक्षार्थियों को मातृत्व अवकाश प्रदान करने के संबंध में उपयुक्त नियम/मानदंड तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों से अनुरोध किया है।

*****